

दिनांक 24/4/25 ... नं०

24.04.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिटाया प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अहम पेखी' व 'अहम टाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बरखिल दफ़तर हो व नंबर से कम हो।

24/04/25
सहायक कलेक्टर
(SDO), बाड़मेर